संख्या- 35/713/24-1-14-1140/2009

प्रेषक:

सुरेश कुमार शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2014

विषय:- वित्तीय वर्ष 2013-14 में उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को अंशपूँजी मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाप्रबन्धक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-82/मप्र(वित्त)/विप्र-2/245/2013, दिनांक 03.02.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को वित्तीय वर्ष 2013-14 में उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को अंशपूँजी मद में प्राविधानित धनराशि रूपये 6,57,00,00,000/- (रूपये छः अरब सत्तावन करोड़ मात्र) में से रूपये 5,70,26,00,000/- (रूपये पॉच अरब सत्तर करोड़ छब्बीस लाख मात्र) के कार्यों पर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा अध्यक्ष, उ0प्र0 व्यापार विकास निधि समिति के अध्यक्ष के रूप में अनुमोदन प्रदान किया गया है, समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा में उक्त स्वीकृत कार्यों के लिए अनुमोदित राशि रूपये 5,70,26,00,000/- (रूपये पॉच अरब सत्तर करोड़ छब्बीस लाख मात्र) में से धनराशि रूपये 2,85,13,00,000/- (रूपये दो सौ पच्चासी करोड़ तेरह लाख मात्र) की स्वीकृति शासनादेश संख्या:-2740/24-1-13-1140/2009, दिनांक 18.09.2013 द्वारा एवं शासनादेश संख्या:-16/311/24-1-14-1140/2009, दिनांक 04 मार्च, 2014 द्वारा प्रदान की गयी थी।

2- अब अवशेष धनराशि रूपये 86,74,00,000/- (रूपये छियासी करोड़ चौहत्तर लाख मात्र) को अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते है। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग व्यापार विकास निधि से मध्यांचल एवं पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगमों द्वारा कराये जाने वाले कार्यों तथा निविदा प्रक्रिया को आदर्श चुनाव आचार संहिता के लागू रहने की अवधि में बिना निवार्चन आयोग की पूर्व अनुमति के प्रारम्भ नहीं किया जायेगा।

3- प्रस्तर-2 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाया जायेगा तथा तत्संबंधी बिल ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को प्रतिहस्ताक्षर हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- प्रस्तर-2 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश लखनऊ/ इलाहाबाद और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

5- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

6- प्रस्तर-2 में स्वीकृत धनराशि वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-9 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत -05-संचरण तथा वितरण-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश- 09-उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय हेतु उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को अंशपूँजी-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-10-यू0ओ0-70/दस-2014, दिनांक 30 मार्च, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(सुरेश कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या- 35/713(1)/24-1-14, तददिनांक</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
2- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
4- वित्त (वयय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/राज्य योजना आयोग-1
5- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुरेश कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in